

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/18/ 3994-285 दिनांक :- 22/05/18

1. जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।
2. उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
3. आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:- बजट घोषणा वर्ष 2018-19 RUIRP-II अन्तर्गत कार्यों की गुणवत्ता जांच एवं थर्ड पार्टी जांच के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2018-19 RUIRP -II अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय निकाय में अग्नेडकर भवन निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, श्मशान/कब्रिस्तानों का विकास एवं सड़क/नालों के पुनरुद्धार के कार्यों को किया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यों की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) से जांच कराये जाने हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी है :-

1. निदेशालय स्तर पर जारी पत्रांक सीई/डीएलबी/2018-19/बजट घोषणा/24057-24248 दिनांक 28.03.2018 में कार्यों के निरीक्षण हेतु वर्णित दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
2. नगरीय निकाय में कार्यरत तकनीकी अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जावें।
3. कार्यों हेतु वर्णित समयावधि का पूर्ण ध्यान रखा जावें एवं निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करावें।
4. प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी जो नगरीय निकाय में कार्यरत नहीं है परन्तु उन्हे उपरोक्त कार्यों की मोनिटरिंग हेतु नियुक्त किया है, वे अधिकारी 15 दिन में कम से कम एक दिन उपरोक्त कार्यों का निरीक्षण अवश्य करें और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय के मुख्य अभियन्ता प्रकोष्ठ में भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये निर्माण सामग्री/मिक्स निर्माण सामग्री के आवश्यक टेस्ट राज्य/भारत सरकार की टेस्टिंग लेब/राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैब में टेस्टिंग करवाना सुनिश्चित करें साथ ही प्रत्येक कार्य के तीन स्तर (कार्य शुरू करने पर, कार्य करते हुये व कार्य पूर्ण पर) पर राज्य/केन्द्र सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजो से तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) से जांच भी करवाई जावें। थर्ड पार्टी जांच में होने वाले व्यय राशि का भुगतान नगरीय निकाय स्तर पर किया जावें।

प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी उपरोक्त टेस्टिंग जांच रिपोर्ट एवं थर्ड पार्टी की जांच रिपोर्ट सन्तोषजनक प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जावें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एच ७७६ जलकृषि विभाग/१४/१९७६-७७

दिनांक २२/६/७६

प्रतिविधि सुचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. विविध स्थायक, मानवीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मि.जी. सचिव शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
3. मि.जी. सचिव निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पंचिकायें, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य अभियंता/मुख्य लेखाधिकारी/परियोजना निदेशक/अतिरिक्त निदेशक निदेशालय।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/अधिसूची अभियंता, समस्त नगरीय निगम।
7. प्रोद्योगिक निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(मुख्य अभियंता)
मुख्य अभियंता